रजिस्टर्ड नं० पी०/एच०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 मार्च, 1984/27 फाल्गुन, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 फरवरी, 1984

नं० ई० एक्स० एन० एफ० (1) 4/78.—पंजाब एक्साईज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धाराएं 31 और 32 जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज़ फिसकल आर्डरज़, 1965 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना नं० 1-17/64-ई० एण्ड टी०, दिनांक 18-10-65 जिसे आगे अधिसूचना नं० 8-46/62 ई० एण्ड टी०, दिनांक 13-10-66, 8-46/62 ई० एण्ड टी०, दिनांक 30-7-69 ई० एक्स० एन० (1) 4/76, दिनांक 30/31 मार्च, 1978 और सम संख्यक अधिसूचना, दिनांक 26/27 जुलाई, 1978 तथा 18 मार्च, 1980 द्वारा संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करने के तुरन्त आदेश देते हैं।

373-राजपत्र/84-17-3-84—1,246.

मूल्य: 20 पैसे।

AMENDMENTS

In item No. II.

For the existing clause (c) the following clause (C) shall be substituted namely:—

(*C*) (*i*) *Manufacture and export duty on Beer and Sweet products.*—With Alcholic contents upto 5% at the rate of Rs. 0.30 paise per bulk litre.

(*ii*) *Manufacture and export duty on Beer.*—With alcholic contents above 5% and upto 8% at the rate of Rs. 0.50 paise per bulk litre

आदेशानुसार,
एस० के० चौहान,
सचिव ।

सामान्य प्रशासन विभाग
(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 18 फरवरी, 1984

संख्या जी० ए० डी० (जी० आई०) 6 (एफ०)-5/80-(II).—हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यु ऐक्ट, 1968 (1954 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-तहसील बैजनाथ का दर्जा बढ़ाकर उसे तहसील स्तर का करने के आदेश तत्काल से सहर्ष प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा,
केशव चन्द्र पांडे,
मुख्य सचिव ।

REVENUE DEPARTMENT

(PONG DAM CELL)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 17*th February*, 1984

No. 13-6/70-II (Pong Cell).—In partial modification of this Government Order of even number, dated the 24th December, 1983, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate "The Deputy Commissioner, Una" as official member of the State Level Bhakra Project Oustees Rehabilitation Advisory Committee with immediate effect.

Other terms and conditions as contained in para 2-6 of the order referred to above shall remain unchanged.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

परिवहन विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 6 मार्च, 1984

संख्या 5-22/69-III परिवहन.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सम संख्यक, दिनांक 30-5-1983 में छपे गये नियम 4 (1) के स्थान पर नियम 2-4 (1) पढ़ा जाये।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, किन्नौर जिला, कल्पा

आदेश

कल्पा, 15 फरवरी, 1984

क्र0सं0-कनर-561/82.—क्योंकि श्री बद्री रत्न, प्रधान, ग्राम पंचायत, बरूआ को विकास खण्ड अधिकारी, विकास खण्ड, कल्पा स्थित रिकार्ड पीओ , की रिपोर्ट दिनांक 23-11-83 के अन्तर्गत मु0 17,296 रू0 22 पै0 का दुरुपयोग करने पर जिस का ब्योरा निम्न प्रकार है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या-कनर-561/82, दिनांक 13 दिसम्बर, 1983 के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिस में उक्त प्रधान, से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (डी0) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

1. अंकेक्षण अथवा निरीक्षण पत्र 20-5-83 के पैरा 6 (2) (ङ) के अनुसार प्रधान ने श्री ठाकुर दास व ठाकुर लाल को मास सितम्बर, 1982 को एक ही मास में दो मस्ट्रौलों पर हाजरी लगा कर म0 632 रु0 का दुरुपयोग किया है, जिसके सम्बन्ध में जिला पंचायत अधिकारी, ने भी अपने पत्र संख्या कनर-561/82, दिनांक 4 जुलाई, 1983 को उक्त राशि को जमा करने के लिए लिखा था तथा विकास खण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार यह राशि जमा नहीं की।

2. दिनांक 15-11-83 को त्रैमासिक रोकड़ सत्यापन से ज्ञात हुआ कि प्रधान ने अपने पास मु0 16,664.22 रु0 दिनांक 3-8-83 से अपने पास रख कर राशि का दुरुपयोग किया है।

क्योंकि उक्त प्रधान ने कारण बताओं नोटस का कोई उत्तर नहीं दिया जिससे सिद्ध होता है कि श्री बद्री रत्न, प्रधान, ग्राम पंचायत बरूआ ने उपरोक्त राशि मु0 17,296.22 रु0 का दुरुपयोग किया है।

अतः, मैं, विवेक श्री वास्तव, उपायुक्त, जिला किन्नौर, कल्पा श्री बद्री रत्न, प्रधान, ग्राम पंचायत बरूआ को ग्राम पंचायत बरूआ के प्रधान पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (डी) के अन्तर्गत तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि श्री बद्री रत्न, प्रधान, इस आदेश की प्राप्ति होने पर तुरन्त अपना कार्यभार, चल व अचल सम्पत्ति जो भी उनके पास हो, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बरूआ को सौंप दें, तथा इस आदेश की प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

विवेक श्री वास्तव,
उपायुक्त, I

कार्यालय जिलाधीश, सिरमौर, जिला सिरमौर

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 18 फरवरी, 1984

संख्या:पी0एस0-2-मिस 133/80-663-67.--चूंकि श्री अमर सिंह पंच, ग्राम पंचायत कान्डो भटनोल ने दिनांक 19-4-82 से ग्राम पंचायत कान्डो भटनोल के मेला बिशु के चन्दे की राशि मु0 500/- रुपये का दुरुपयोग किया हुआ है, जिसे पंचायत निधि में जमा करवाने के लिए श्री अमर सिंह पंच को इस कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 84 (1) तथा पंचायती राज नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस पंजीकृत ए0डी0 पत्रांक संख्या पी0एस0 2-मिस-133/80-3418-22, दिनांक 5-12-83 को 15 दिन का नोटिस दिया गया था;

चूंकि श्री अमर सिंह का उत्तर निश्चित अवधि के अन्दर प्राप्त न होने के कारण यह समझा गया है कि वे जानबूझ कर इस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, व वे इस विषय में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते;

अतः मैं0 आर0एन0 बन्सल जिलाधीश सिरमौर उन शक्तियों के अधीन जो कि मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री अमर सिंह को ग्राम पंचायत, कान्डो भटनोल के पंच पद से मु0 500/-रुपये का दुरुपयोग करने के आरोप में तुरन्त निलम्बित करने के आदेश देता हूं। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वह पंचायत का कोई भी सामान, रिकार्ड, निधि आदि जो भी उनके पास हो तुरन्त प्रधान, ग्राम पंचायत कान्डो भटनोल को सौंप दें।

आर0 एन0 बन्सल,
जिलाधीश सिरमौर, नाहन।

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 24 जनवरी, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-28/81.—क्योंकि श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत गरनोटा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा नियमित जांच करने पर निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाये गये हैं:—

(1) वर्ष 1972 से 1982-83 तक मु0 2140/-रु0 राशन कार्ड दान बिना रसीद दिये प्राप्त किये जिसमें से मु0 200/-रु0 के राशन कार्ड क्रय किये तथा केवल 350/-रु0 पंचायत में जमा किये तथा शेष मु0 1590/-रु0 पंचायत में जमा न करके पंचायत फण्ड का दुरुपयोग किया।

(2) वर्ष 1981 में घास की बोली 225/-रु0 की हुई जिसमें से केवल 100/-रु0 वसूल किये और 125/-रु0 वसूल ही नहीं किये तथा जो 100/-रु0 वसूल किये उन्हें भी जमा निधि में जमा न करके पंचायत फण्ड का दुरुपयोग किया।

(3) पशु फाटक के बिना किसी रसीद काट कर मु0 100/-रु0 प्राप्त किये तथा पंचायत फण्ड में जमा न करके पंचायत फण्ड का दुरुपयोग किया।

(4) मु0 5.25 पैसे न्याय शुल्क व 15/-रु0 तावान के प्राप्त किये परन्तु पंचायत फण्ड में जमा न करके इसका दुरुपयोग किया।

(5) रोकड़ अनुसार वर्ष 1973 तक समय-समय पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) वित्त, बजट, लेखा, आडिट कराधान सेवा तथा भत्ता नियम, 1975 के नियम 8 की उलंघना करते हुए भारी नकद बाकी अपने पास रख कर सभा निधि का अल्पकालीन दुरुपयोग किया।

(6) दिनांक 7/82 से रोकड़ अनुसार 852.15 पैसे की राशि अपने पास बकाया में रखी जिसमें से केवल 733.75 पैसे के बाउचर जांच के समय 12-3-83 को पंचायत को दिये तथा शेष मु0 118.40 पैसे अभी तक अनियमित रूप से अपने पास बिना प्रयोजन के रख कर सभा निधि का दुरुपयोग किया।

(7) दिनांक 26-6-79 व 30-4-81 से 1000/-, 1000/- रु0 की राशियां बिना किसी औचित्य के अपने पास 28-8-81 तक रख कर अस्थाई दुरुपयोग किया।

(8) मु0 1180/-रु0 की राशियां बिना पंचायत की पूर्व स्वीकृति के डाकघर से निकालकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 40 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) वित्त, बजट, लेखा, आडिट कराधान सेवा नियम, 1975 के नियम 4 की उलंघना की है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गरनोटा के प्रधान पद से निष्कासित किया जाये। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर जिलाधीश चम्बा के माध्यम से इस विभाग को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ कहने से असमर्थ हैं तथा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

आदेश

शिमला-2, 23 फरवरी, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-38/78.—क्योंकि श्री जीत राम प्रधान, ग्राम पंचायत मझयूड़, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला मु0 2500/-रु0 को दिनांक 26-11-79 से 10-3-81 तक दुरुपयोग करने के दोषी पाये गये हैं तथा इसके अतिरिक्त मु0 600/- रु0 उन्होंने पंचायत निधि से निकाले और उसमें से 450 रु0 वापिस नहीं किये। मु0 193-20 पैसे की स्कूल भवन गढ़काहन की बकाया राशि का हिसाब भी उन्होंने नहीं दिया है;

और क्योंकि उन्हें सफाई पेश करने का उचित समय भी दिया गया परन्तु उन्होंने निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को नहीं दिया जिससे स्पष्ट है कि वह इस बारे कुछ नहीं कहना चाहते और लगाये गये आरोपों को सही मानते हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जीत राम प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत, मझयूड़ को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

शिमला-2, 3 मार्च, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-39/76.—क्योंकि ग्राम पंचायत लुथान, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा का आंकेक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि श्री कांशी राम प्रधान ने 1-4-79 से 23-7-80 तक की अवधि में पतन सूंथगल पर चली किश्ती से प्राप्त 7017.05 रु0 की आय का इन्दराज न तो पंचायत रोकड़ में करवाया तथा न ही इसे पंचायत के खाते में जमा किया अपितु इसका लेखा एक अलग रजिस्टर में रखा ;

और क्योंकि उक्त प्रधान ने श्रीमती शकुन्तला देवी महिला पंच को पंच पद से बिना कारण स्वयं ही हटाने का प्रयास किया ;

और क्योंकि उक्त प्रधान ने 5/79 से 3/81 तक समय-समय पर अनाधिकृत रूप से अपने पास नकद शेष रखा है;

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जांचने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री कांशी राम के विरुद्ध वास्तविकता जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट इस विभाग को एक मास के भीतर-भीतर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित अनिवार्य रूप से भेज देंगे।

हस्ताक्षरित,
अवर सचिव (पंचायत)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।